



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092026-276612
CG-DL-E-29092026-276612

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5145]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948

No. 5145]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2026

का.आ. 5352(अ).— पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री फ़ैज़ अहमद किदवई, अपर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को तत्काल प्रभाव से उनकी वर्तमान नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/1/2014 पीआर]
समीर कुमार, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2026

S.O. 5352(E).— In exercise of the powers conferred under Section 4 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Act, 2013, the Central Government hereby appoints Shri Faiz Ahmed Kidwai, Additional Secretary, Department of Personnel and Training, as Part-time Member, Pension Fund Regulatory and Development Authority with immediate effect, for the duration of his tenure in his present appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 2/1/2014-PR]

SAMIR KUMAR, Economic Adviser